

सं0 स0 14/.एम 11-1/2025  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,  
निदेशक प्रमुख

सेवा मे,

निदेशक / अधीक्षक,  
पोस्ट ग्रेजुएट इन्स्टीच्यूट  
आफ चाइल्ड हेल्थ केयर  
सेक्टर-30, नोयडा 201310

पटना, दिनाक

विषय – “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की विमुक्ति के संबंध मे।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनाक 11.02.2025 की बैठक मे लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 मे अंकित अनुदान राशि विमुक्ति की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निवधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	यश राज पिता— लालबाबू पडित ग्राम— पीरपुर चक पो०— पीरपुर थाना— पियर जिला— मुजफ्फरपुर	बोन मैरो ड्रासप्लाट	5,00,000	पाँच लाख स्वीकृत।
			₹ 5,00,000/-	

2. उक्त अनुदान की कुल ₹5,00,000/- (पाँच लाख) रूपया का क्रास चेक स0. 196831 .....  
. मूल रूप मे सलग्न है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मौंग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. चिकित्सा CGHS के दर पर ही करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी० आई०, बेली रोड, पटना मे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-  
(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)  
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 481(14)

पटना, दिनांक 18/2/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0..... की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे )/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं0 सं0 14/एम 11-1/2025  
 निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
 बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,  
 निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,  
 धर्मशीला नारायणा  
 सुपर स्पेशलीटी अस्पताल,  
 धर्मशीला मार्ग, वसुन्धरा इंकलेब  
 दिल्ली-110096

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 11.02.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निवंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	विमला देवी पति- नागेश्वर सिंह ग्राम- कालिंदी नगर पो०- भीमदास टोला थाना- गोपालपुर जिला- भागलपुर	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			₹ 1,00,000/-	

- उक्त अनुदान की कुल राशि 1,00,000/- (एक लाख) का क्रास चेक सं0.....196829..... मूल रूप में संलग्न है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मौग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अच्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार

निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

₹0/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक १४/२/२०२५

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक ५७६(१४)

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में), अई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीज को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सं0 सं0 14 / इम 11-01/2025

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,  
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक  
फोर्टिस हेल्थ केयर लि०,  
शालीमार बाग, ए-ब्लॉक  
नई दिल्ली-110088

पटना, दिनाक.....

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 11.02.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सरस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीपारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निवंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	इन्दु देवी पति— शम्भू साह ग्राम— प्रयाग समइल पो०— कोइलादेवा थाना— मीरगज जिला— गोपालगञ्ज	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	सौरभ पटेल पिता— सत्य प्रकाश पटेल ग्राम— लक्ष्मीपुर पो०— रोसेरा थाना— रोसडा जिला— समस्तीपुर	कैसर सर्जरी	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
			2,20,000/-	

(चेक FORTIS HEALTHCARE LIMITED के नाम से निर्गत करना है।)

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,20,000 /— (दो लाख बीस हजार) रूपये का क्रास चेक सं0.....  
.1968.30..... मूल रूप में संलग्न है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करे। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन

एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

5. चिकित्सा AIIMS के दर पर की जाए। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम-“मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

₹0/-

(डॉ प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक ५७९ (14)

पटना, दिनांक 18/2/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0..... की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ अब्दु टी मैनेजर स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं0 सं0 14 / एम 11-1 / 2025  
 निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं  
 बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,  
 निदेशक प्रमुख

सेवा मे ,

अधीक्षक,  
 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,  
 असारीनगर, नई दिल्ली। 110029

पटना, दिनांक..... .....

विषय.— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 11.02.2025 की बैठक मे निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 मे अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	राजेश कुमार पिता— लखन सिंह ग्राम— सिदुआरी वार्ड 05 पो०— छोटा जमुआरा थाना— नरहट, जिला— नवादा यूएचआईडी न०— 100093580	किडनी दवा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
2	सतोष कुमार शर्मा पिता— शिवनाथ शर्मा ग्राम— हफलागज पो०— सिरनिया, थाना— मुफ्फसिल जिला— कटिहार यूएचआईडी न०— 103509725	किडनी दवा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
3	रीना कुमारी पिता— परमानन्द लाल देव ग्राम— पकड़ी पो०— बहरी, थाना— बहेरी जिला— दरभंगा यूएचआईडी न०— 107523100	बोन मैरो ट्रांसप्लाट	6,00,000	छ: लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
			7,00,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 7,00,000/- (सात लाख) रूपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, चालु खाता सं०

30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 196832...द्वारा ●  
आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स० 10874588593,  
खाता धारक का नाम— AIIMS PATIENT TREATMENT ACCOUNT खाते का प्रकार— चालु  
बैंक का नाम—एस० बी० आई०, शाखा का नाम—अंसारी नगर, नई दिल्ली (01536), RTGS/IFSC कोड  
स०—SBIN 0001536 मे अतरित किया जाता है।

- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित  
मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त “बिहार लोक माग वसुली अधिनियम” के तहत वसूल  
कर लिया जायगा।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर  
चिकित्सा प्रारंभ करे। अनावश्यक रोगियो को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की  
राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपर्योगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार  
निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में  
किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- 5 यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें  
। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— “मुख्यमंत्री चिकित्सा संस्थान  
कोष”, खाता स०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड,  
पटना मे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया  
जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

40/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक ५८५ (१५)

पटना, दिनांक १८/२/२०२४

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए  
अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 196832.....की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-२ मे  
वर्णित खाता धारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे आई टी. मैजिस्टर,  
स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीज को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रषित।

निदेशक प्रमुख

सं0 स0 14 / एम 11-01/2025

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,  
निदेशक प्रमुख

सेवा मे,

अधीक्षक  
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,  
अंसारीनगर, नई दिल्ली | 110029

पटना, दिनांक..... .

विषय – “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 11.02.2025 की बैठक मे निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजो को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	रीता देवी पति— चन्दन कुमार ग्राम— सिहौता पो०+थाना— महाराजगंज जिला— सिवान यूएचआईडी न०— 107613381	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	सजीत शाह पिता— राज मंगल साह ग्राम— दामोदर छपरा पो०— बसतपुर पट्टी थाना— सरैया जिला— मुजफ्फरपुर यूएचआईडी न०— 107009658	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			2,00,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि 12,00,000/- (दो लाख) रूपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, चालु खाता स0 30121380424 एस0 बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 126832..... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रासफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स0-CA 10874584292, खाता धारक का नाम— DR. BRAIRCH PATIENT TREATMENT ACCOUNT खाते का प्रकार— चालु, बैंक का नाम—एस0 बी० आई०, शाखा का नाम—अंसारी नगर, नई दिल्ली (01536), RTGS/IFSC कोड स0-SBIN 0001536 मे अंतरित किया जाता है।

3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त “बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम” के तहत वसूल कर लिया जायगा।

- 4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ करे। अनावश्यक रोगियो को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र मे किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/ शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

हो/-

(डॉ प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक 18/2/2023

ज्ञापाक ५७५(14)

**प्रतिलिपि—** शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं. 196832... की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

**प्रतिलिपि—** लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे) / आई टी. मैत्रजा, स्वास्थ्य विभाग, संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख  
18/2/2023

सं0 सं0 14 / एम 11-1 / 2025  
 निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं  
 बिहार, पटना

**प्रेषक**

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,  
 निदेशक प्रमुख

**सेवा में**,

निदेशक / अधीक्षक  
 इंस्टीच्युट आफ लीवर एंड  
 बायलेरी साईंस, वंसतकुंज, डी०-१  
 नई दिल्ली 110070

पटना, दिनांक... .... .

**विषय – “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 11.02.2025 की बैठक मे लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सम्मान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 मे अकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	धनंजय पाण्डे पिता— चन्द्रमा पाण्डे ग्राम— मोहनिया पो०+थाना— शिवसागर जिला— रोहतास	लीवर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
			1,00,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,00,000/- (एक लाख) के भुगतान के लिए आपके सम्मान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, चालु खाता सं0 30121380424 एस0 बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 196832 .....द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रासफर के माध्यम से आपके सम्मान/अस्पताल के खाता सं0 50100143852078 खाता धारक का नाम—“इंस्टीच्युट आफ लीवर & बायलेरी साईंस” खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम— एच०डी०एफ०सी० बैंक, शाखा का नाम—Site No-2, OCF pocket, sector C, Vasant Kunj. New Delhi-110070, ब्रांच, RTGS/ IFSC कोड स0 HDFC0000273 मे अतरित किया जाता है।
- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियो को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार—बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले मे किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/ शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।  
इसे अत्यावध्यक समझें।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक ४८८ (१५)

पटना, दिनांक १८/२/२०२३

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं०.../९६८३१... की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-२ में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आईटी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-04/2018  
 निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं  
 बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,  
 निदेशक प्रमुख

सेवा मे,

निदेशक  
 मैक्स सुपर स्पेशलीटी अस्पताल ईस्ट ब्लॉक  
 (ए यूनिट ऑफ देवकी देवी फॉउण्डेशन) साकेत  
 2, प्रेस इन्कलेव रोड साकेत, नई दिल्ली- 110017

पटना, दिनांक . . . . .

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 11.02.2025 की बैठक मे लिये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 मे अकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	अरबाब खान पिता— तुफैल खान ग्राम— विश्वभरपुर पो— लहेजी थाना— पचरखी जिला— सिवान	बोन मैरो ड्रासप्लाट	5,00,000	पाँच लाख स्वीकृत।
			5,00,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 5,00,000/- (पाँच लाख) मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 196832 ..... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 650014107927, खाता धारक का नाम— **Devaki Devi Foundation**, खाते का प्रकार— Cash Credit Account, बैंक का नाम Indusind Bank Limited शाखा का नाम— **Dr. Gopal Das Bhawan, 28, Barakhamba Road, New Delhi – 110001, RTGS/IFSC** कोड सं0— INDB0000005 मे अतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक माग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जाय।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ करे। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार

निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

5. गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

₹0/-

(डॉ प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक ५८८(१४)

पटना, दिनांक १८/२/२०२५

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं 196832 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वारथ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) सभी सबधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख  
१८/२/२५

सं0 स0 14 / एम 11-1 / 2025  
 निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
 बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,  
 निदेशक प्रमुख  
 सेवा मे०  
 निदेशक,  
 सजय गाधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान,  
 राय बरेली रोड, लखनऊ-226014

पटना, दिनाक

विषय - मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध मे०

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनाक 11.02.2025 की बैठक मे० निर्णय के अनुरूप आपके स्थान मे० चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजो को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 मे० अकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो मे०
1	2	3	4	5
1	रामेश्वर सहनी पिता- भगवान सहनी ग्राम- लालबेगिया पो०- मिश्रौलिया थाना- चिरैया जिला- पूर्वी चम्पारण सीआर न०- 2023290650	Severe Aplastic Anemia	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे०
2	पुष्कर गुप्ता पिता- लाल बाबू प्रसाद ग्राम- नया बाजार नियर अल्लाहाबाद बैक पो०- सिवान थाना- नगर जिला- सिवान सीआर न०- 20241242680	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	रामनरेश प्रसाद पिता- राम विलाश प्रसाद ग्राम- सिसवा पो०- सिरनी बाजार थाना- मलाही जिला- पूर्वी चम्पारण सीआर न०- 2025001376	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
4	बबलू कुमार मेहता पिता- परशुराम प्रसाद ग्राम- पुराना शहर मुशी मोहल्ला पो०+थाना- दाउदनगर जिला- औरंगाबाद सीआर न०- 2019512721	अर्थराइटिस रोग	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे०

5	रमेश महतो पिता— बासदेव महतो ग्राम— खाप परसा पो०— भवरा थाना— बलथर जिला— पश्चिम चम्पारण सीआर न०— 20241115721	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत
6	नीतू सिह पति— रामप्रवेश सिह ग्राम— पहाडपुर पो०— रघुनाथपुर थाना— सरैया जिला— मुजफ्फरपुर सीआर न०— 2021867506	DCLD/ hep B	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत   विशेष परिस्थिति मे।
7	मिश्रीलाल राय पिता— बाका राय ग्राम— मठिया बरियारपुर पो०— मथुरापुर थाना— पिपराकोठी जिला— पूर्वी चम्पारण सीआर न०— 20241248282	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
8	प्रिया कुमारी पिता— सजय प्रसाद ग्राम+पो०+थाना— कटेया जिला— गोपालगज सीआर न०— 20241196605	कैसर सर्जरी	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
9	रंजीत गोस्वामी पिता— श्रीनाथ गोस्वामी ग्राम— गोपालपुर पो०— बथुआ बाजार थाना— गोपालपुर जिला— गोपालगज सीआर न०— 20241197502	Bowel resection with Stoma	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
10	उषा कला किरण पति— ओम प्रकाश निराला ग्राम— सरस्वती सदन रोड न०— 03 पोस्टल पार्क पो०— जी० पी० ओ० थाना— जबकनपुर जिला— पटना सीआर न०— 2013817397	Primary Myelofibrosis	80,000	अरसी हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
11	जयेद्र प्रसाद चौधरी पिता— रामयश चौधरी ग्राम— जगदेव नगर पो०— अनाईठ थाना— नवादा जिला— भोजपुर सीआर न०— 2023142458	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।



12	सुनीता कुमारी पिता— मदन साह ग्राम— हरदी नवादा पो०— मझारिया थाना— चौतरवा जिला— पश्चिम चम्पारण सीआर न०— 2024261191	IBD - CD	45,000	पैतालीस हजार स्वीकृत   विशेष परिस्थिति मे।
13	रिकू देवी पति— हरिशचंद्र राय ग्राम— भतहडी पो०— अहियापुर थाना— साहेबगंज जिला— मुजफ्फरपुर सीआर न०— 2021363477	किडनी दवा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
14	सरबती देवी पति— बाबूलाल साह ग्राम— धरोहरा पो०— खडतरी थाना— चिरैया जिला— पूर्वी चम्पारण सीआर न०— 20221021060	एप्लास्टिक एनिमिया	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
15	ब्यूटी कुमारी पिता— राम नरेश सिंह ग्राम— पातलपुर वार्ड 11 पो०— माधोपुर थाना— शाहपुर जिला— पटना सीआर न०— 20241097410	IBD Associated Arthritis	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
16	प्रेमशीला देवी पति— रविंद्र सिंह ग्राम— भेलपुर पो०— सरेजा थाना— ईटाढी जिला— बक्सर सीआर न०— 2025015276	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			14,45,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 14,45,000/- (चौदह लाख पैतालीस हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, चालु खाता स० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 196832 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स० 10095237548 खाता धारक का नाम—“निदेशक, एस० जी० पी० जी० आई० एम० एस० पी०इ०डी० खाता” खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम—भारतीय स्टेट बैंक, शाखा का नाम—एस०जी०पी०जी०आई०, RTGS/IFSC कोड स० SBIN0007789 मे अतरित किया जाता है।
- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

- 4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान चिकित्सा प्रारभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- 5 चिकित्सा AIIMS के दर पर ही करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय द्वारा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।
- 6 गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
7. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एरा० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
- इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

₹0/-

(डॉ प्रमोद कुमार सिंह)  
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक ५८२(१४)

पटना, दिनांक 18/2/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं 196832 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों मे अर्द्ध दी मैत्रेयी स्वास्थ्य विभाग, पटना संबंधित मरीजों को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14 / एम 11-1 / 2025  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ प्रमोद कुमार सिंह,  
निदेशक प्रमुख

सेवा मे

निदेशक,  
Kailash Hospital Ltd.  
23 KP-1,  
Greater Noida, 201310.

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक **11.02.2025** की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके स्वस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निवंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	सुभम कुमार पिता— विकाश कुमार सिंह ग्राम— धबछुआ पो०— खुदरा थाना— दिनारा जिला— रोहतास	DSA Cerebral - for Vessels angiography	1,00,000	एक लाख रुपये। विशेष परिस्थिति में।
			₹ 1,00,000/-	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,00,000/- (एक लाख) के भुगतान के लिए आपके सरथान/अस्पताल व खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता स0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बैली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 196832- द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्य से आपके सरथान/अस्पताल के खाता स0— 07074010000050, खाता धारक का नाम— Kailas Healthcare Ltd. खाते का प्रकार— Cash Credit, बैंक का नाम— Punjab National Bank, शाखा का नाम— Sector – 27, Noida, RTGS/IFSC कोड स0— PUNB0070710 में अतिरित किया जाता है।
  - 3 गलत प्रमाण पत्र/छदम नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
  - 4 यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ करे। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन

एक ही बार निर्गत करें। बार—बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

5. चिकित्सा CGHS के दर पर करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम—“मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक 18/12/2023

ज्ञापाक ४८०(१४)

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीज को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं0 सं0 14/एम 11-1/2025

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,

निदेशक प्रमुख

सेवा मे,

निदेशक, / अधीक्षक

डॉ० राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान

संस्थान, गोमती नगर

लखनऊ –226010

पटना, दिनांक—

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 11.02.2025 की बैठक मे लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 मे अकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों मे
1	2	3	4	5
1	दुर्गाविती देवी पिता— धुपदेव सिंह ग्राम+पो— लामीचौर थाना— भोरे जिला— गोपालगंज	मेजर भास्कुलर सर्जरी	2,50,000	दो लाख पचास हजार स्वीकृत।
			2,50,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार) रूपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, चालु खाता स0 30121380424 एस0 बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 12.6832... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रासफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स0-6193000100005944, खाता धारक का नाम—MS DR.RMLIMS HOSPITAL ADMINISTRATION खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम—पंजाब नेशनल बैंक, शाखा का नाम—विभूतिखण्ड, गोमती नगर, लखनऊ RTGS/IFSC कोड स0—PUNB0619300 मे अतरित किया जाता है।
- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त ‘बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम’ के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करे। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र मे किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

5. चिकित्सा CGHS के दर पर ही करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

हो/-

(डॉ प्रमोद कुमार सिंह)

ज्ञापाक ५८३ (१५)

निदेशक प्रमुख  
पटना, दिनांक १८/२/२०२५

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं १९६४३२ की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-२ में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे) / आई.डी. मैनेजर स्वास्थ्य विभाग, पटना, सभ संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ प्रमोद कुमार सिंह,  
निदेशक प्रमुख  
सेवा मे  
निदेशक  
सर सुन्दर लाल अस्पताल,  
इस्टीचुट ऑफ मेडिकल साइंस  
वाराणसी –221005

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।  
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक – 11.02.2025 की बैठक मे निर्णय के अनुरूप आपके सराथन मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियो के चिकित्सा व्यवहार के लिए कॉलम-4 मे अकित अनुदान राशि स्वीकृति की जाती है –

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निवास संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3		5
1	लालिमा चौबे पति – विद्याधर चौबे ग्राम+पो0- सिकरिया थाना- तियर जिला- भोजपुर एमआरडी न0- 7184226	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	विक्की कुमार पिता- सतोष कुमार ग्राम+पो0+थाना- करपी जिला- अरवल एमआरडी न0- 7059611	IBD CD	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
3	रोहित कुमार पिता- दिन दयाल तिवारी ग्राम- सावन डीहरी पो- बलथरी थाना- कोचस जिला- रोहतास एमआरडी न0- 6591708	न्यूरो रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
4	बितेन्द्र साह पिता- परमेश्वर साह ग्राम+पो0+थाना- करगहर जिला- रोहतास एमआरडी न0- 4858884	न्यूरो कजरवेटिव	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
5	अभय सिंह पिता- इद्रजीत सिंह ग्राम+पो0- छाता थाना- दुर्गावती जिला- कैमूर भमुआ एमआरडी न0- 6691730	हृदय रोग एमभीआर	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।

6	गुलशन नेशन पति— बरकत असारी ग्राम— आशाराम भलुही पो— रुद्रपुर थाना— कट्टया जिला— गोपालगंज एमआरडी नं०— 6792903	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
7	सतीश कुमार सिंह पिता— महेद्र सिंह ग्राम+पो— देहद थाना— सोनवर्षा जिला— सहरसा एमआरडी नं०— 6386247	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
8	लीलावती देवी पति— सतोष कुमार मिश्रा ग्राम— शिवसागर पो— बसडीहा थाना— नबीनगर जिला— औरंगाबाद एमआरडी नं०— 5852127	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
9	सदाननद राय पिता— बबन राय ग्राम— लरइ पो— करहसी थाना— मुफकसिल जिला— बक्सर एमआरडी नं०— 7172201	न्यूरो रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
10	पीयूष कुमार पिता— प्रमोद चौधरी ग्राम— भैसहट वार्ड 07 पो— पर्वतपुर थाना— चैनपुर जिला— कैमूर भभुआ एमआरडी नं०— 6771763	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
11	नागेश्वरी देवी पति— सजय पाण्डेय ग्राम+पो+थाना— भगवानपुर जिला— कैमूर भभुआ एमआरडी नं०— 7158502	कैसर रोग	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
12	अनीता देवी पति— विनोद मिश्रा ग्राम— लौरिया मिश्रा टोला पो+थाना— लौरिया जिला— पश्चिम चम्पारण एमआरडी नं०— 6869307	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
13	तारा देवी पति— दुवेश्वर शर्मा ग्राम+पो— तेदुआ थाना— नोखा जिला— रोहतास एमआरडी नं०— 6601722	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

14	ब्यूटी कुमारी पिता— गोतम तिवारी ग्राम— गोपालपुर पो0— देवखैरा थाना— करगहर जिला— रोहतास एमआरडी न0— 5052881	न्यूरो सीजर	50,000	पचास हजार स्वीकृत   विशेष परिस्थिति मे।
15	सुषमा कुमारी पिता— जनेश्वर यादव ग्राम— दरियापुर पो0+थाना— फेसर जिला— औरगाबाद एमआरडी न0— 5893186	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
16	अरविन्द माझी पिता— राणबृक्ष माझी ग्राम— काशीपुर पो0— कोशिला थाना— मगध युनिवर्सिटी जिला— गया एमआरडी न0— 5328448	ब्रेन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
17	रौनक कुमार पिता— अजित कुमार ग्राम+पो0— लाटबसेपुरा थाना— मुसरिधरारी जिला— समस्तीपुर एमआरडी न0— 639002	युरो रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत   विशेष परिस्थिति मे।
18	जमुनी देवी पति— नथुनी राम ग्राम— अधवार पो0— दादर थाना— मोहनियॉ जिला— कैमूर भमुआ एमआरडी न0— 4614894	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
19	सत्यरानायण पाण्डेय पिता— रामबचन पाण्डेय ग्राम— सौजा पो0— रायपुर चोर थाना— शिवसागर जिला— रोहतास एमआरडी न0— 7184032	न्यूरो रोग कजवेटिव	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
			₹ 17,90,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 17,90,000/- (सतरह लाख नब्बे हजार) के भुगतान के लिए आपके सरथान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता स0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 126832 ...द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रासफर के माध्यम से आपके सरथान/अस्पताल के खाता स0 27790100039150 खाता धारक का नाम— **Other-Paitent Relief Fund BHU**, खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम— **Bank of Baroda**, शाखा का नाम— **BHU, Varanasi**, RTGS/IFSC कोड स0 BARB0BHUVAR मे अतरित किया जाता है।

- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- 5 चिकित्सा AIIMS के दर पर ही करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय व्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।
- 6 यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

₹0/-

(डॉ प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 484(14)

पटना, दिनांक

18/2/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं. 196832 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि’— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में) अर्थ टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सबधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

पत्राक 14 / एम 11-1/2025

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,  
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक  
एपेक्ष अस्पताल प्रा० लि०  
डी०एल० डबलु हाईडील रोड,  
वाराणसी । 221004

पटना, दिनांक . . . . .

विषय.— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 11.02.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सरकारी स्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अकित अनुदान राशि विमुक्ति की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	राहुल कुमार पिता— संतोष सिंह ग्राम— सेलास पो०— बरहुतीकला थाना— कोचस जिला— रोहतास	ट्रामा	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	राजेश्वर प्रसाद सिंह पिता— देवनदन सिंह ग्राम— बिसाई पो०— सोनौरा थाना— माली जिला— औरंगाबाद	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	इद्रावती देवी पति— रामेश्वर तिवारी ग्राम— डडवास पो०— मुजान थाना— मोहनियाँ जिला— कैमूर भभुआ	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	इन्दु कुवर पति— रव० नारायण चौधरी ग्राम— कुशाधर पो०— बिशुनपुर थाना— बघेला जिला— रोहतास	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
5	धर्मेन्द्र सिंह पिता— योगेन्द्र सिंह ग्राम+पो०— अमसारी थाना— मुरार जिला— बक्सर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

6	पिटू कुमार पिता— हरिनंदन सिह ग्राम— चक मदारी पो0+थाना— मेहसी जिला— पूर्वी चम्पारण	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत
			4,80,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 4,80,000/- (चार लाख अस्सी हजार) रूपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संरथान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता स0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 196832 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संरथान/अस्पताल के खाता स0-36180579026, खाता धारक का नाम— **APEX WELCARE PVT. LTD** खाते का प्रकार— , बैंक का नाम— स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शाखा का नाम— **SPECIALISED COMMERCIAL BRANCH JAIL ROAD VARANASI RTGS/IFSC** कोड स0-SBIN0009252 मे अतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "विहार लोक माग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जाय।
4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ करे। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
5. चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करना सुनिश्चित करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0-30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना मे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
- इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-  
(डॉ प्रमोद कुमार सिह)

ज्ञापक 185 (14)

पटना, दिनांक 18/2/2021

निदेशक प्रमुख

प्रतिलिपि— शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0 196832... की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— प्रतिलिपि—लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14 / एम 11-1 / 2025  
 निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं  
 बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,  
 निदेशक प्रमुख

सेवा मे

निदेशक,  
 होमी भाभा कैसर अस्पताल  
 घंटी मिल रोड, लहरतारा,  
 ओल्ड लोको कालोनी, शिवपुरवा  
 वाराणसी 221002

पटना, दिनाक.

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।  
 महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनाक 11.02.2025 की बैठक मे लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सरकार ने चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजो को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	प्रमोद कुमार पिता— जीम राम ग्राम— महुआरी पो०— चुन्नी थाना— मुफ्फसिल जिला— बक्सर केस फाईल न0-16एफ2024 / 002613	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	निकिता प्रिया पिता— उमेश राम ग्राम— पुरानी गुदरी अम्बेदकर नगर पो०— रमना थाना— नगर जिला— मुजफ्फरपुर केस फाईल न0-16एफ2024 / 002424	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
3	लक्ष्मी देवी पति— अरुण कुमार तिवारी ग्राम— गौरक्षणी पो०+थाना— सासाराम जिला— रोहतास केस फाईल न0-16एफ2023 / 000908	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
4	अलोक कुमार पिता— मनोज चौरसिया ग्राम+पो०— लोमा थाना— तिसिओता जिला— वैशाली केस फाईल न0-16एफ2025 / 000175	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

5	सतोषी देवी पति— सजय ठाकुर ग्राम+पो0— पचमा थाना— पिरो जिला— भोजपुर केस फाईल नं0—18एफ2024 / 011297	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
6	नीलेश टौक पिता— रामजी टौक ग्राम— मीठापुर बी एरिया पो0— जी पी ओ थाना— जव्कनपुर जिला— पटना केस फाईल नं0—16एफ2024 / 001819	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
7	अंकिता कुमारी पति— विकाश कुमार ग्राम+पो0— चदा थाना— अथमलगोला जिला— पटना केस फाईल नं0—18एफ2024 / 019534	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
8	राधिका कुमारी पिता— गुरुचरण यादव ग्राम+पो0— रूपनछपरा थाना— बरौली जिला— गोपालगंज केस फाईल नं0—16एफ2025 / 000154	कैसर रोग	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
9	मास्टर दिशात कुमार पिता— विश्वकर्मा कुमार ग्राम+पो0+थाना— रामपुर चौरम जिला— अरवल केस फाईल नं0—16एफ2025 / 000122	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
10	सत्येन्द्र यादव पिता— देवराज यादव ग्राम— धर्मपुर डेरा पो0— इन्दौर थाना— ईटाढी जिला— बक्सर केस फाईल नं0—16एफ2024 / 001778	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
11	सजीला खातून पिता— परसथुआ पो0— कथराई थाना— कोचस जिला— रोहतास केस फाईल नं0— केर्झ / 16292	कैसर रोग	80,000	अरसी हजार स्वीकृत।
12	सयैदा बेगम पति— शमसी मिया ग्राम— बारा तेलपा पो0— छपरा थाना— नगर जिला— सारण केस फाईल नं0—18एफ2024 / 009595	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।



13	प्रियम पिता— शिव कुमार सिंह ग्राम— विवेकानन्द नगर पो— बैगूसराय थाना— मुफ्फसिल जिला— बैगूसराय केस फाईल नं0—16एफ2024 / 002456	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
14	रिकू देवी पति— उपेद्र मडल ग्राम— रामटोलबालुपर पो— दामोदरपुर थाना+जिला— लखीसराय केस फाईल नं0—16एफ2024 / 002497	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
15	समर राज पिता— अजित साह ग्राम+पो— बछवारा थाना— बछवाड़ा जिला— बैगूसराय केस फाईल नं0—16एफ2024 / 001755	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
16	प्रभावती देवी पति— योगेन्द्र यादव ग्राम— बेलाउर पो— दहीवर थाना— औधोगिक जिला— बक्सर केस फाईल नं0—18एफ2024 / 009529	कैसर रोग	80,000	अस्त्री हजार स्वीकृत।
17	मो० हेसाम पिता— मो० एकराम ग्राम— कबीरगज पो+थाना— सासाराम जिला— रोहतास केस फाईल नं0— के०ई / 15275	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
18	प्रकाश अम्बेडकर पिता— रामानन्द राम ग्राम— नुआव पो— कबिलासपुर थाना— दुर्गावती जिला— केमूर भभुआ केस फाईल नं0—16एफ2023 / 001861	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
19	हेना देवी पति— श्यामजी यादव ग्राम— सिलाड खुर्द पो— सिलाड कला थाना— देव जिला— औरगाबाद केस फाईल नं0— के०ई / 01738	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
20	सुनीता सिंह पति— सजीत कुमार सिंह ग्राम— जितवारपुर महेसिया पो— सूतिहार थाना— डेरनी जिला— सारण केस फाईल नं0—18एफ2024 / 008066	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

21	राधिका देवी पति— बाबू लाल सहनी ग्राम— बनचहरी पो— परसा थाना— बगहा जिला— पश्चिम चम्पारण केस फाईल नं— के४/13761	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख रुपये।
			20,80,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 20,80,000/- (बीस लाख अस्सी हजार) के भुगतान के लिए आपके सरकारी अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं 196832 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सरकारी अस्पताल के खाता सं 3675632747 खाता धारक का नाम— होमी भाभा कैंसर हॉस्पीटल, वाराणसी, खाते का प्रकार— चालु, बैंक का नाम— सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा का नाम— RTGS/IFSC कोड सं CBIN 0280196 में अतरित किया जाता है।
- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज / उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार—बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- 5 चिकित्सा CGHS के दर पर ही करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय व्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वारूप विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।
- 6 यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

₹ 60/-

(डॉ प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक ५८६ (१५)

पटना, दिनांक— 18/2/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं 196832 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वारूप विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ अर्ड० सी० एन०जी०, स्वारूप विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायश्च प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं0 सं0 14/एम 11-1/2025  
 निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं  
 बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,  
 निदेशक प्रमुख  
 सेवा मे ,  
 निदेशक,  
 ARVACHIN HOSPITAL,  
 Plot No. 1700, Amara Khaira Chak,  
 Akhari Bypass NH 2,  
 (Near Delhi Public School)  
 Varanasi 221011

पटना, दिनाक .

विषय.— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।  
 महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनाक 11.02.2025 की बैठक मे लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजो को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 मे अकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	बासदेव सिंह पिता— स्व० बशरोपन सिंह ग्राम+पो०+थाना— चॉद जिला— कैमूर भभुआ	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			80,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 80,000/- (अस्सी हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं0 30121380424 एस0 बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 196832..... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रासफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 50200088951405 खाता धारक का नाम— **Arvachin Healthcare Private Limited**, खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम— **HDFC Bank**, शाखा का नाम— **Lohta**, RTGS/IFSC कोड सं0 HDFC0002166 मे अतरित किया जाता है।
- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ करे। अनावश्यक रोगियो को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

- 5 यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम—“मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
- 6 यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह० /—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)


निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक ५८७(१५)

पटना, दिनांक— १८/२/२०२५

प्रतिलिपि— शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना की प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं०... १९६८३२... की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-२ में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



निदेशक प्रमुख

स0 स0 14 / एम 11-1 / 2025  
 निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं  
 बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,  
 निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,  
 टाटा स्मारक अस्पताल,  
 परेल, मुम्बई -400012

पटना, दिनांक.....

विषय.— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 11.02.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके स्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सजीत साह पिता— अमृत साह ग्राम+पो0— कटसा थाना— भेल्दी जिला— सारण केस फाईल न0— 11एफ2024 / 001487	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	सुरेश प्रसाद राय पिता— उदय नारायण राय ग्राम+पो0+थाना— रुस्तमपुर जिला— वैशाली केस फाईल न0— 11एफ2023 / 017853	कैसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
3	विक्की कुमार पिता— अशोक प्रसाद ग्राम— कथाडीह पो0— करियादपुर थाना— फतेहपुर जिला— गया केस फाईल न0— 11एफ2024 / 022026	बोन मेरो ट्रासप्लांट	5,00,000	पाँच लाख स्वीकृत।
4	मुकेश कुमार बर्नवाल पिता— भूषण बर्नवाल ग्राम— मोहनपुर पो0— मटिया थाना— लक्ष्मीपुर जिला— जमुई केस फाईल न0— सीवी / 40365	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

5	प्रियका कुमारी पति अमरेश कुमार ग्राम—अमेर पो0—नावानगर थाना—बिदुपुर जिल वैशाली केसफाइलनं0-11एफ2024 / 024529	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			7,70,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 7,70,000/- (सात लाख सत्तर हजार) के भुगतान के लिए आपके स्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता स0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 176832.....द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके स्थान/अस्पताल के खाता सं0 1002449683 खाता धारक का नाम— टाटा स्मारक अस्पताल परेल मुम्बई, खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम—सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा का नाम— टी0एम0एच0, RTGS/IFSC कोड सं0 CBIN 0284241 में अतिरित किया जाता है।
- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- 5 चिकित्सा CGHS के दर पर ही करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।
- 6 यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।  
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक 18/2/2023

ज्ञापाक 488 (14)

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय रेटेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0 176832.....की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में )/ आई टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स०सं 14 /एम 11-1/2025

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,

निदेशक प्रमुख

सेवा मे,

निदेशक,

क्रिश्चीयन मेडिकल कॉलेज

आई०डी०ए०, रक्तुडर रोड

पी० बी० न०-३, भेल्लोर-६३२००४

पटना, दिनाक

विषय— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध मे।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष प्राधिकृत समिति की दिनाक 11.02.2025 की बैठक मे निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजो को उनके नाम के समक्ष बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-४ मे अकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निवंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	विशुनदेव राय पिता— स्व० शीतल राय ग्राम— धुसरिया, पो०— बाबुरा थाना— बडहरा जिला— भोजपुर सीएमसी न०— एएच 50033	ब्रेन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	मो० इसराइल पिता— इब्राहिम ग्राम+पो०— बालगुदर थाना+जिला— लखीसराय सीएमसी न०— एएच 36450	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	रेखा कुमारी पति— अजय कुमार ग्राम+पो०— पोआरी थाना— हरनौत जिला— नालदा सीएमसी न०— एएच 42516	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
4	ओम प्रकाश सिंह पिता— गर्जन सिंह ग्राम+पो०— कमरपुर थाना— मुफ्फसिल जिला— बक्सर सीएमसी न०— एएफ72014	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
5	सुमित कुमार पिता—शिव पुजन रजक ग्राम—न्यू ऐरिया नबीनगर पो०+थाना—नबी नगर जिला—औरगाबाद सीएम०सीन०—ए०एच० 83048	कैसर रोग	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।

6	सोधू यादव पिता— जीवन यादव ग्राम— दौलतपुर पो— बरैनी, थाना— ईशीपुर जिला— भागलपुर सीएमसी नं— एएच 41384	कैसर रोग	2,00,000	दो लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
7	गोपाल प्रसाद पिता— मनु महतो ग्राम— मटिहानी पो— इटवां थाना— मोहनपुर जिला— गया सीएमसी नं— 516200जी	गुर्दा प्रत्यारोपण	4,00,000	चार लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
		11,20,000		

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 11,20,000/- (ग्यारह लाख बीस हजार) मात्र के भुगतान के लिए आपके सरस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं 196832 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सरस्थान/अस्पताल के खाता सं—36889551846, खाता धारक का नाम—C.M.C.VelloreAssociation, खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम—एस०बी०आई०, शाखा का नाम—भेल्लोर, टाउन ब्राच (1618), RTGS/IFSC कोड सं—SBIN 0001618 में अतरित किया जाता।
- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम/अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त/'बिहार लोक माग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- 4 गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
- 5 यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करे। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपरोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार—बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- 6 चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपरोगिता का प्रमाण पत्र स्वारश्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।
7. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं—30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
- इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

₹०/-  
(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)  
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक ५८९(१४) पटना, दिनाक १८/१२/२०२५

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय रेटेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न रक्त सं 196832 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-२ में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाए।  
प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वारश्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई टी मैनेजर, स्वारश्य विभाग, पटना/सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14 / एम 11-1 / 2025  
 निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
 बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ प्रमोद कुमार सिंह,  
 निदेशक प्रमुख

सेवा मे,

निदेशक,  
 नारायण सुपर स्पेशलीटी अस्पताल,  
 120/1, अंदुल रोड,  
 हावड़ा-711103

पटना, दिनांक . . . . .

विषय – “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 11.02.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सरायन मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अकित अनुदान राशि विमुक्ति की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	निजहत परवीन पति— मोहम्मद जाहीर ग्राम+पो— सुमेरा थाना— कुढ़नी जिला— मुजफ्फरपुर	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
			₹ 1,00,000/-	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,00,000/- (एक लाख) के भुगतान के लिए आपके सरायन/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं0-30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 196832... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सरायन/अस्पताल के खाता स0-921030004381537, खाता धारक का नाम— मेरिडीयन मेडिकल रिसर्च, हौस्पीटल लि0, खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम—AXIS BANK LTD, शाखा का नाम—सी0बी0बी0 बगलौर ब्रांच, हावड़ा वेस्ट बंगाल, RTGS/IFSC कोड स0 UTIB 0001541 मे अंतरित किया जाता है।
- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबंधि मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ करे। अनावश्यक रोगियो को परेशान नही किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपर्योगिता प्रमाण पत्र मे किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले मे किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सापरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”,

खाता सं- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में  
इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।  
इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

हो/-

(डॉ प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक ५९०(१५)

पटना, दिनांक १८/२/२०२५

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं. १९६८३२... की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कंडिका-२ में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, सभी संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,  
निदेशक प्रमुख

सेवा मे,

अधीक्षक,  
पोस्ट ग्रेजुएट इस्टीच्युट ऑफ मेडिकल एजुकेशन  
एंड रिसर्च, चडीगढ़ - 160012

पटना, दिनांक...

विषय— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 11.02.2025 की बैठक मे निर्णय के अनुरूप आपके स्थान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 मे अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	बबन साह पिता— स्व० शिवनाथ साह ग्राम— करमछत्ता पो०— कोपसर, थाना— कोचस जिला— रोहतास सीआर न०— 2010 0280 5447	किडनी दवा	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
2	अनिल कुमार भारतीय पिता— वासुदेव प्रसाद यादव ग्राम— मिर्जापुर नोहटा पो०+थाना— फतुहा जिला— पटना सीआर न०— 201305172998	किडनी दवा	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
3	सन्नी कुमार पिता— सुजीत यादव ग्राम— जेल रोड रामपुर पो०+थाना— रामपुर, जिला— गया सीआर न०— 2023 0269 1049	किडनी दवा	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
4	सजीव कुमार सिंह पिता— रामसन सिंह ग्राम— बेलघाट पो०— बेलघाट बलुआ थाना— मुफ्फसिल जिला— भोजपुर सीआर न०— 2018 0263 2660	किडनी दवा	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
			<b>2,00,000</b>	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,00,000/- (दो लाख) रूपये मात्र के भुगतान के लिए आपके स्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” चालु खाता सं 30121380424, एस० बी० आई०, बेली

रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 . 196832 .....द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सरस्थान/अस्पताल के खाता स0 10413583830 खाता धारक का नाम—“डायरेक्टर, पी0जी0आई0 प्राइवेट ग्रान्ट ए0/सी0 ” खाते का प्रकार— चालु बैंक का नाम— एस0 बी0 आई0, शाखा का नाम— मेडिकल संस्थान शाखा सेक्टर-12, चंडीगढ RTGS/IFSC कोड स0 01524 मे अतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/चृद्घम नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त 'बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम' के तहत वसूल कर लिया जायगा ।
4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियो को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
5. गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
6. चिकित्सा AIIMS के दर पर ही करें। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 491(14)

पटना, दिनांक 18/2/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सत्रग्न चेक स0/196832 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे )/ आई ही मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना, संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14 / एम 11-1 / 2025  
 निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं  
 बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,  
 निदेशक प्रमुख

सेवा मे,

निदेशक,  
 अमृता इस्टीच्यूट ऑफ मेडिकल साईंस सेन्टर,  
 माता अमृता नदा मार्ई मार्ग,  
 सेक्टर 88 फरीदाबाद,  
 हरियाणा-121002

पटना, दिनांक . . . .

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।  
 महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 11.02.2025 की बैठक में लिये निर्णय के अनुरूप आपके स्थान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 मे अंकित अनुदान राशि विमुक्ति की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निवंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	तृशाण सिंह पिता— विश्वजीत सिंह ग्राम— सग्रामपुर मठिया पो०+थाना— सग्रामपुर जिला— पूर्वी चम्पारण	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			1,00,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,00,000/- (एक लाख) के भुगतान के लिए आपके स्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता स0-30121380424 एस0 ३०० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 196832. द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके स्थान/अस्पताल के खाता स0-019600100024481, खाता धारक का नाम— AMRITA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES & RESEARCH CENTRE. खाते का प्रकार— बैंक का नाम— DHANLAXMI BANK, शाखा का नाम— CROWN COMPLEX, NIT FARIDABAD, HARYANA, 121001, 196-FARIDABAD HARYANA, RTGS/IFSC कोड सं0 DLXB0000196 मे अंतरित किया जाता है।
- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त “बिहार लोक माग वसुली अधिनियम” के तहत वसुल कर लिया जायगा।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ करें। अनावश्यक रोगियो को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की

संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

- 5 चिकित्सा AIIMS/CGHS के दर पर ही करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वारथ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।
- 6 यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम—“मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

₹0/-

(डॉ प्रमोद कुमार सिंह)


निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 492(14)

पटना, दिनांक 18/2/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना की प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलक सं० 196832 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कड़िका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वारथ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/ आई०टी० मैनेजर, स्वारथ्य विभाग पटना/ सबधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



स0 स0 14 / एम 11-1 / 2025

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,  
निदेशक प्रमुख

सेवा मे,

निदेशक,  
चरनोक अस्पताल प्रा० लि०  
तेघरीया, मैजोर आरटेरीयल रोड  
न्यु टाउन, कोलकता-700157

पटना, दिनाक .....

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।  
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनाक 11.02.2025 की बैठक मे लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके स्थान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 मे अकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।-

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	सुधा सिन्हा पति— सजय कुमार ग्राम— बेलधाना पो०— नुरसराई थाना— चडी जिला— नालदा	गुर्दा प्रत्यारोपण	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।
			कुल ₹ 3,00,000/-	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,00,000/- (तीन लाख) के भुगतान के लिए आपके स्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता स0 30121380424 एस0 बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 196.832 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके स्थान/अस्पताल के खाता स0— 50200100799372, खाता धारक का नाम—'Charnock Hospitals Private Limited, खाते का प्रकार— Cash Credit Account, बैंक का नाम— HDFC Bank Ltd, शाखा का नाम— Ground Floor, Sagar Jyoti Apartment, VIP Road, Kolkata, RTGS/IFSC कोड स0 HDFC0009518 मे अतरित किया जाता है।
- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- 4 गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
- 5 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करे। अनावश्यक रोगियो को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र मे किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

- 6 चिकित्सा CGHS के दर पर ही निर्गत करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण द्वौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।
- 7 यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं0— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः गाह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

₹0/-  
(डॉ प्रमोद कुमार सिंह)

ज्ञापाक ५९३(१४)

निदेशक प्रमुख  
पटना, दिनांक १८/२/२०२१-

प्रतिलिपि— शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 १९६८३२- की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-२ में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना, सबधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14 / एम 11-1 / 2025

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ प्रमोद कुमार सिंह,  
निदेशक प्रमुख

सेवा मे ,

निदेशक,  
एच0 सी0 जी0 इको कैंसर सेंटर  
प्लॉट-डीजी 4 परमीस -3-358  
नीयर डीपी0एस0 न्यु टाउन  
कोलकता 700156

पटना, दिनाक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।  
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनाक 11.02.2025 की बैठक मे लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 मे अंकित अनुदान राशि स्वीकृति की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	प्रिस कुमार रजक पिता— उपेंद्र बैठा ग्राम— डिहुली इसहाक पो0— डिहुली बुजुर्ग थाना— सकरा जिला— मुजफ्फरपुर	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			1,00,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,00,000/- (एक लाख) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता स0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 196632 ..... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रासफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स0-002281400004001 खाता धारक का नाम— HCG EKO ONCOLOGY LLP खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम—यश बैंक लि0, शाखा का नाम—कस्तुरबा रोड बगलौर RTGS/IFSC कोड स0 YESB0000022 से अतरित किया जाता है।
- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- 4 चिकित्सा CGHS के दर पर ही करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।
- 5 यदि स्वीकत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय।
6. चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।

7. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम—“मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं0— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक ५९६(१४)

पटना, दिनांक १८/२/२०२५

प्रतिलिपि— शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0..196832.. की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वारथ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में) / आई की मैनेजर, स्वारथ्य विभाग, पटना / सभी संबंधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14 /एम 11-1/2025  
 निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं  
 बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,  
 निदेशक प्रमुख

सेवा मे,

निदेशक,  
 फॉर्टिस अस्पताल लि०  
 730, आनन्दपुर ई०एम बाईपास रोड  
 कोलकता –७००१०७

पटना, दिनांक

विषय – “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 11.02.2025 की बैठक मे निर्णय के अनुरूप आपके सरायन मे निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-४ मे अकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निवंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	शाहिद परवेज पिता— मो० फकरुदीन ग्राम— ऐरकी पो०— जहानाबाद थाना— जहानाबाद नगर जिला— जहानाबाद	हृदय रोग पेसमेकर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			1,00,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,00,000/- (एक लाख) के भुगतान के लिए आपके सरायन/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता स0 30121380424 एस0 बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 196232 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रासफर के माध्यम से आपके सरायन/अस्पताल के खाता स0-054031356905, खाता धारक का नाम—Fortis Hospital Limited खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम— HSBC BANK LTD, शाखा का नाम— RTGS/IFSC कोड स0 HSBC0110005 मे अतरित किया जाता है।
- 3 गलत प्रमाण पत्र/छदम नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ करें। अनावश्यक रोगियो को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
5. चिकित्सा CGHS के दर पर ही करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय व्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा

चिकित्सा/ शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें ।

6. चिकित्सा AIIMS के दर पर ही करें । यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/ शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं— 30121380424, IFSC Code— SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बैली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय ।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

₹0/-

(डॉ प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक 18/2/2025

ज्ञापाक ५९५(१४)

प्रतिलिपि— शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बैली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं 196832 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका—2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय ।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे )/ आईटी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14 / एम 11-1 / 2025  
 निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
 बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,  
 निदेशक प्रमुख

सेवा मे,

निदेशक,

**Centre for sight**

(a Unit of New Delhi centre for sight Ltd.),  
 Banjara Hills Ashoka capital Building,  
 Road No. 2 Hyderabad-500034.

पटना, दिनांक.. . . .

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।  
 महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृति समिति की दिनांक 11 02 2025 की बैठक मे लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सराथान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजो को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 मे अकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो मे
1	2	3	4	
1	बेबी अतिफा पिता— मो० आसिफ रेजा ग्राम+पो०— बगडहरा थाना— जोकिहाट जिला— अररिया	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			₹ 80,000/-	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 80,000/- (अस्सी हजार) के भुगतान के लिए आपके सराथान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता स0 30121380424 एस0 बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 196331...द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रासफर के माध्यम से आपके सराथान/अस्पताल के खाता स0— 13458520000014 खाता धारक का नाम—New delhi Centre for sight Pvt. Ltd. खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम HDFC Bank Ltd. बैंक, शाखा का नाम S-4, Green Park Extn. New Delhi कोड स0 HDFC0001345 मे अंतरित किया जाता है।
- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करे। अनावश्यक रोगियो को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र मे किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार—बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

5. चिकित्सा CGHS के दर पर ही जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय व्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।
6. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस करें।  
इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ प्रमोद कुमार सिंह)  
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक ५९६(१५)

पटना, दिनांक १८/२१/२०२३-

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक संख्या १९६८३२ की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-२ में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/आई एसी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख